



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लेक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद-201012



पत्र सं०- 9173

/स०प्र० गाजि०/

दिनांक- 29/10/15

मांग पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री :- AKHIL ANAND

पुत्र/पुत्री/पत्नी :- DALPAT SINGH

निवासी :- J-102, SHATABDI RAIL VIHAR SEC-62
NOIDA, 201309

विषय:- मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत गुलमोहर एन्कलेव आवासीय परियोजना 2015 के अन्तर्गत फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या- 626 द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के गुलमोहर एन्कलेव आवासीय योजना में 01BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि के रूप में ₹0-22000.00 जमा किये गये हैं। फ्लैट की अनुमानित लागत ₹0-1100000.00. में पंजीकरण धनराशि समयोजित के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करें।

1	दिनांक 30.11.2015 तक (अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत)	₹0-55000.00
2	₹0-19010.00 की 24 मासिक किश्तें प्रथम किश्त दिनांक 1.12.2015 से देय होगी, जिसका भुगतान उस माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है।	₹0-19010.00

उक्त किश्तों का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद कमांक-अ मे अंकित किश्तों का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्सटीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-52331171000074 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद एवं ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-11871131002609 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद UPAVP GHAZIABAD के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसों में पीली पर्ची पर जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। किश्तों के विलम्ब से भुगतान करने पर 12.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

2 शासन द्वारा निर्धारित सेवाकर 3.50 प्रतिशत की दर से निम्न प्रकार देय है, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित/प्रचलित दरों के अनुसार देय / परिवर्तित होगी।

क० सं०	किश्त संख्या	सेवाकर (₹0)	अन्तिम देय तिथि
1	पंजी० राशि पर देय सेवाकर	770.00	30.11.2015
	प्रथम एकमुश्त	1925.00	
2	24 मासिक किश्तें	665.00 प्रत्येक किश्त पर	मासिक किश्तों की देय तिथि के अनुसार

सेवाकर की धनराशि का भुगतान इलाहाबाद बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद के सेवाकर हेतु खाता संख्या-50248198020 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद खाता संख्या-50248198020" (UPAVP, A/C-50248198020) के पक्ष में गाजियाबाद पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक जमा करनी होगी। विलम्ब की दशा में सेवाकर के प्राविधानों के अन्तर्गत ब्याज/दण्ड ब्याज देय होगा। उक्त सेवाकर की जमा की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। आशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा।

कृ०प०उ०.....2/-



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद-201012

भारतीय मानक ब्यूरो



IS



पत्र सं०- 9431

/स0प्र0 गाजि0/

दिनांक- 29/10/15

मांग पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री :- JAGDISH CHANDRA TIWARI

पुत्र/पुत्री/पत्नी :- GOVIND RAM TIWARI

निवासी :- H NO-174/A BLOCK -J SEC-9 VIJAY NAGAR
GHAZIABAD, 201009

विषय:- मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवास योजना के अर्न्तगत गुलमोहर एन्कलेव आवासीय परियोजना 2015 के अर्न्तगत फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या- 1315 द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के गुलमोहर एन्कलेव आवासीय योजना में 01BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन भुगतान विकल्प-‘अ’ के अधीन स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि के रूप में ₹0-22000.00 जमा किये गये हैं। फ्लैट की अनुमानित लागत ₹0-1100000.00 में पंजीकरण धनराशि समयोजित के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करें।

1:- दिनांक 31.01.2016 तक

₹0-1078000.00

उक्त धनराशि का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्सटीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-52331171000074 एवं 'ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-11871131002609 में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद "UPAVP GHAZIABAD" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसों में पीली पर्ची पर जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से भुगतान करने पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का दिनांक 1.12.2015 से अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

उक्त धनराशि का भुगतान पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर (बैंक कार्यदिवस में) करने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

2:- शासन द्वारा निर्धारित सेवाकर 3.50 प्रतिशत की दर से उक्त भुगतान के साथ-साथ ₹0-38500.00 सेवाकर के मद में इलाहाबाद बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद के सेवाकर हेतु खाता संख्या-50248198020 में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद खाता संख्या-50248198020" (UPAVP, A/C-50248198020) के पक्ष में गाजियाबाद पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक जमा करनी होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित / प्रचलित दरों के अनुसार देय / परिवर्तित होगी। विलम्ब की दशा में सेवाकर के प्राविधानों के अर्न्तगत ब्याज/दण्ड ब्याज देय होगा। उक्त सेवाकर की जमा की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। आशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा।

कृ०प०उ०.....2/-



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं०-एस-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद-201012



पत्र सं०- 8984

/स0प्र0 गाजि0/

दिनांक- 29/10/18

मांग पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री :- SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA
पुत्र/पुत्री/पत्नी :- SRI HARIDAY NARAYAN LAL
निवासी :- K32 A PATEL NAGER 3 OP. GDA POLIC
COLONY GZB, 201001

विषय:- मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवास योजना के अर्न्तगत गुलमोहर एन्कलेव आवासीय परियोजना 2015 के अर्न्तगत फ्लैट के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या- 1368 द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के गुलमोहर एन्कलेव आवासीय योजना में 01BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन भुगतान विकल्प- 'ब' स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि के रूप में ₹0-22000.00 जमा किये गये हैं। फ्लैट की अनुमानित लागत ₹0-1100000.00 में पंजीकरण धनराशि समायोजित के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करे।

क्र० सं०	किश्त संख्या	धनराशि	अन्तिम देय तिथि
1	प्रथम एकमुश्त	₹0-55000.00	30.11.2015
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.12.2015
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.3.2016
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.6.2016
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.9.2016
6	पंचम त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.12.2016
7	षष्ठम् त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.3.2017
8	सप्तम् त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.6.2017
9	अष्टम् त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.9.2017
10	नवम् त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.12.2017
11	दशम् त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	31.3.2018
12	एकादश त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.6.2018
13	द्वादश त्रैमासिक किश्त	₹0-85250.00	30.9.2018

उक्त धनराशि का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्सटीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-52331171000074 एवं 'ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिगा सिटी, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या-11871131002609 में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद "UPAVP GHAZIABAD" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसों में पीली पर्ची पर जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से भुगतान करने पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

कृ०प०उ०.....2/-

3 अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त जमा धनराशि के समायोजन पश्चात् फ्लैट का अन्तिम प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय विलेख पूर्ण मूल्य जमा कराने के पश्चात् परिषद / शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि रू0-22000.00 का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि रू0-22000.00 का 50 प्रतिशत की दर से कटौती कर उनका पंजीकरण तथा पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तथा देय धनराशि पर सेवाकर की कटौती की जायेगी। वाछित प्रपत्रों के साथ रिफण्ड बाउचर प्राप्त होने पर बिना ब्याज अवशेष धनराशि वापस की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य को सम्पत्ति आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

सूचित मूल्य अनुमानित है। सम्पत्ति संख्या एवं तल का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा एवं मूल्यांकन स्वीकृत होने के पश्चात् फ्लैट का वास्तविक मूल्य एवं पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित स्वीकृत अन्य देय धनराशि का भुगतान परिषद खाते में करना होगा। मांग पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशि का समायोजन प्रदेशन पत्र में किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका/परिषद विनियमों के अनुसार लागू होगी एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम मान्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय


(एस0वी0 सिंह)
उप आवास आयुक्त

//2//

3 अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त फ्लैट का अन्तिम प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। जिसके अनुसार फ्लैट की लागत का 15 प्रतिशत एकमुश्त एवं शेष धनराशि की ब्याज सहित 96 मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। प्रथम किश्त जमा कराने के पश्चात् किराया किश्त कय अनुबन्ध निष्पादित कराकर फ्लैट का कब्जा देय होगा। सम्पत्ति का विक्रय विलेख पूर्ण मूल्य जमा कराने के पश्चात् परिषद/शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि ₹0-22000.00 का 20 प्रतिशत जब करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि ₹0-22000.00 का 50 प्रतिशत की दर से कटौती कर उनका पंजीकरण तथा पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तथा देय धनराशि पर सेवाकर की कटौती की जायेगी। वाछित प्रपत्रों के साथ रिफण्ड बख्तर प्राप्त होने पर बिना ब्याज अवशेष धनराशि वापस की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य को सम्पत्ति आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

सूचित मूल्य अनुमानित है, पंजीकरण पुस्तिका के विकल्प-‘स’ के अनुसार (किश्तों पर) धनराशि की मांग की गयी है। सम्पत्ति संख्या एवं तल का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा एवं मूल्यांकन स्वीकृत होने के पश्चात् फ्लैट का वास्तविक मूल्य एवं पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित स्वीकृत अन्य देय धनराशि का भुगतान परिषद खाते में करना होगा। मांग पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशि का समायोजन प्रदेशन पत्र में किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका/परिषद विनियमों के अनुसार लागू होगी एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम मान्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय


(P. S. सिंह)
उप-आवास आयुक्त

2 शासन द्वारा निर्धारित सेवाकर 3.50 प्रतिशत की दर से निम्न प्रकार देय है, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित/प्रचलित दरों के अनुसार देय / परिवर्तित होगी।

क्र० सं०	किश्त संख्या	सेवाकर (रु०)	अन्तिम देय तिथि
1	पंजी० राशि पर देय सेवाकर	770.00	30.11.2015
	प्रथम एकमुश्त	1925.00	
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.12.2015
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.3.2016
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.6.2016
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.9.2016
6	पंचम त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.12.2016
7	षष्ठम् त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.3.2017
8	सप्तम् त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.6.2017
9	अष्टम् त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.9.2017
10	नवम् त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.12.2017
11	दशम् त्रैमासिक किश्त	2984.00	31.3.2018
12	एकादश त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.6.2018
13	द्वयोदश त्रैमासिक किश्त	2984.00	30.9.2018

सेवाकर की धनराशि का भुगतान इलाहाबाद बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद के सेवाकर हेतु खाता संख्या-50248198020 में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद खाता संख्या-50248198020" (UPAVP, A/C-50248198020) के पक्ष में गाजियाबाद पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक जमा करनी होगी। विलम्ब की दशा में सेवाकर के प्राविधानों के अन्तर्गत ब्याज/दण्ड ब्याज देय होगा। उक्त सेवाकर की जमा की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटि का होगा।

3 अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त जमा धनराशि के समायोजन पश्चात् फ्लैट का अन्तिम प्रदेशन पत्र जारी किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय विलेख पूर्ण मूल्य जमा कराने के पश्चात् परिषद / शासनादेश के अनुसार स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा।

आवेदक द्वारा इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि रु०-22000.00 का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि रु०-22000.00 का 50 प्रतिशत की दर से कटौती कर उनका पंजीकरण तथा पात्रता निरस्त कर दी जायेगी तथा देय धनराशि पर सेवाकर की कटौती की जायेगी। वांछित प्रपत्रों के साथ रिफण्ड बाउचर प्राप्त होने पर बिना ब्याज अवशेष धनराशि वापस की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य को सम्पत्ति आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

सूचित मूल्य अनुमानित है। सम्पत्ति संख्या एवं तल का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा एवं मूल्यांकन स्वीकृत होने के पश्चात् फ्लैट का वास्तविक मूल्य एवं पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित स्वीकृत अन्य देय धनराशि का भुगतान परिषद खाते में करना होगा। मांग पत्र के अनुसार जमा की गयी धनराशि का समायोजन प्रदेशन पत्र में किया जायेगा। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका/परिषद विनियमों के अनुसार लागू होगी एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम मान्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय

(सुधीर सिंह)
उप-आवास आयुक्त